अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण 01 से 3 व 5 को तावफैसला वाद राजस्व मौजा सिणला पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 463 रकबा 08-18 बीघा किस्म बारानी दोयम में अप्रार्थीगण 01 से 3 व 5 स्वयं अथवा अपने नौकर चाकर हाली एजेण्ट आदि को प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलदांजी, अड़चन नहीं करें, व वर्तमान मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करनें तथा बिना प्रार्थी की अनुमति के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी में प्रवेश करने से एवं किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण 01 से 03 व 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह तावफैसला वाद राजस्व मौजा सिणला पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण में स्थित प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 463 रकबा 08-18 बीघा किस्म बारानी दोयम में अप्रार्थीगण 01 से 3 व 5 स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि, नौकर चाकर हाली एजेण्ट आदि बिना प्रार्थी की अनुमति के प्रवेश नहीं करें, न ही आराजी की मांठे में कोई तोड़ फोड़ करें तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने कब्जे काश्त की आराजी में कृषि करने पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखलदांजी, अड़चन नहीं करें, व वर्तमान मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करें, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 06/02/2025 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)